वित्त निर्देश 37/2013

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन - नया रायपुर

क्रमांक 233/एफ 2013-04-00089/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 2 जुलाई, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-छत्तीसगढ़ (पुलिस कर्मचारी वर्ग-असाधारण परिवार निवृत्ति-वेतन) नियम, 1965 के नियम 5 (2) में संशोधन ।

संदर्भः-वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 43/141/वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 17 फरवरी, 2009.

पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण परिवार निवृत्ति-वेतन नियम, 1965 के नियम 5(2) में यह प्रावधान है कि परिवार पेंशन हेतु मृतक आरक्षक (पुलिसमैन) द्वारा उसकी मृत्यु के समय ली गई उपलब्धियों उस दिनांक तक जब वह अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता और तदोपरांत वेतनमान के अधिकतम राशि के आधे के बराबर परिवार पेंशन की पात्रता होगी ।

2/ दिनांक 1.1.2006 से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 लागू होने के फलस्वरूप अब नई वेतन संरचना में वेतनमान के स्थान पर ग्रेड वेतन एवं वेतन बेंड का प्रावधान किया गया है, एक वेतन बेंड के अंतर्गत कई वेतनमान के कर्मचारी शामिल है ।

3/ अतः राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि उक्त नियम के अन्तर्गत मृतक आरक्षक (पुलिसमैन) द्वारा उसकी मृत्यु के समय ली गई उपलब्धियां उस दिनांक तक जब वह अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता और तदोपरांत मूल वेतन (बैंड वेतन + ग्रेड वेतन) के 50 प्रतिशत के बराबर परिवार पेंशन की पात्रता होगी ।

4/ नियमों में संशोधन की कार्यवाही पृथक से की जा रही है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चकवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

क्रमांक 234/एफ 2013-04-00089/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 2 जुलाई, 2013

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग